भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 184
दिनांक 15.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएं

***184. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के विभिन्न मुद्दों का समाधान किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के मुद्दों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था करने वाली संबंधित एजेंसिया विद्यार्थियों/अभिभावकों को दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा करें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों की पढ़ाई के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यूक्रेन संघर्ष के कारण भारतीय विद्यार्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिया है;

(च) यदि हां, तो यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(छ) विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों को परेशान किए जाने के कारण उत्पन्न मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
विदेश मंत्री
(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

'विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के समक्ष आने वाले मुद्दों' के संबंध में श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा पूछे गए 15.12.2023 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 184 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (छ): विदेशों में मौजूद भारतीय छात्रों की सलामती भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए पंजीकृत छात्रों के लिए स्वागत समारोह आयोजित करते हैं, उन्हें मिशनों/केंद्रों के साथ पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब भी भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में पंजीकृत होते हैं, मिशन उनके साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। मिशन/केंद्र प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी भारतीय छात्रों और छात्र संघों के साथ नियमित चर्चा के लिए विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र भारतीय छात्रों के समक्ष आने वाले मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करते हैं। शिकायतों का समाधान कॉल, वॉक-इन, ई-मेल, सोशल मीडिया, 24x7 हेल्पलाइन, ओपन हाउस और मदद पोर्टल जैसे विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। विदेश में छात्रों से प्राप्त किसी भी शिकायत को अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों और मेजबान सरकार के समक्ष उठाया जाता है। हमारे मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं और छात्रों की सलामती से संबंधित मामलों पर बारीकी से नजर रखते हैं। यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसे तुरंत मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस घटना की उचित जांच हो और अपराधियों को दंडित किया जाए। आपातकालीन या संकट की स्थितियों के दौरान, विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय छात्रों को भोजन, आश्रय, दवा और भारत वापस लौटने की सुविधा प्रदान करने में सक्रिय रूप से मदद करते हैं। हाल ही में वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन अजय जैसे विभिन्न अभियानों के तहत दुनिया भर के देशों से भारतीय छात्रों को वापस लाया गया है।

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना अधिकांशत: भारतीय छात्रों का व्यक्तिगत निर्णय होता है, जो प्राय: निजी शिक्षा परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग करते हैं। सरकार को फर्जी एजेंसियों के माध्यम से विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के कुछ मामलों की जानकारी है, जिनसे मंत्रालय द्वारा मामले-दर-मामले निपटाया जाता है। ऐसे शिक्षा एजेंटों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये मामले राज्य सरकारों को प्रेषित किए जाते हैं। विदेश स्थित मिशन/केंद्र छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में चेतावनी देने के लिए नियमित परामर्शी जारी करते हैं। कुछ मिशन/केंद्र अपनी वेबसाइट पर प्रामाणिक विश्वविद्यालयों की सूची का लिंक साझा करते हैं ताकि छात्र केवल इन विश्वविद्यालयों के लिए ही आवेदन करें। भारतीय छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया मंच का भी उपयोग किया जाता है।

यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर "ऑपरेशन गंगा" के तहत भारत सरकार द्वारा लगभग 18,282 भारतीय नागरिकों जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल छात्र शामिल हैं, को वापस लाया गया था। यूक्रेन से वापस लौटे भारतीय छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ एक योजना तैयार की है:

(i) भारतीय छात्र जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और जिन्हें 30 जून 2022 को या उससे पहले पाठ्यक्रम/डिग्री पूरा करने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, उन्हें विदेशी शिक्षा स्नातक (एफएमजी) परीक्षा में भाग लेने की अनुमति है।

(ii) एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, ऐसे विदेशी मेडिकल स्नातकों को पंजीकरण की पात्रता प्राप्त करने के लिए दो साल की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) पूरा करना आवश्यक है।

(iii) एनएमसी ने यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक आवाजाही कार्यक्रम अर्थात् विभिन्न देशों (भारत को छोड़कर) में अन्य विश्वविद्यालयों के लिए अस्थायी स्थानांतरण (संघर्ष की अवधि के लिए) पर अनापत्ति व्यक्त की है। इस छूट के तहत, यूक्रेन से लौटने वाले एफएमजी छात्रों को अपने शेष चिकित्सा पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक अंतिम अवसर का उपयोग करने की अनुमति है। तथापि, डिग्री उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी जिसमें वे दाखिला लेंगे। 22 नवंबर 2023 को एनएमसी ने ऐसे मामलों में दी गई छूट को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है।

****